भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2371

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक विकास

2371. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

विभाग देश में आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास के संवर्धन हेतु अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ किस प्रकार सहयोग करता है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के जरिए भारत सरकार देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए उचित नीतिगत कार्यक्रमों के द्वारा समर्थकारी इकोसिस्टम उपलब्ध कराती है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जारी स्कीमों के अलावा, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन और स्थापना में सहायता के लिए वि भिन्न कदम उठाए हैं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीरय औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार के उद्देश्य से, सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गवर्नमेंट टू बिजनेस और सिटिजन इंटरफेस को सरल, युक्तिसंगत, डिजिटलीकृत और गैर-अपराधीकृत बनाने के लिए पहलें की हैं। अब तक, 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है तथा 3,800 से अधिक प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत बनाया गया है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य के विभागों की सभी जी2बी मंजूरियों के लिए आवदेन करने हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म है। सभी 32 संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को एनएसडब्ल्यूएस पर एकीकृत किया गया है। एनएसडब्ल्यूएस के जरिए कुल 277 केंद्रीय अनुमोदनों के लिए आवेदन किया जा सकता है। विश्वास आधारित शासन को आगे बढ़ाने तथा गौण अपराधों को गैर-अपराधीकृत करने तथा अनुपालन आधारित कानून और आवश्यकताओं को सक्षम बनाने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 बनाया गया था। इस अधिनियम के जरिए 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित

42 अधिनियमों के तहत 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया (27 जुलाई 2023 को लोक सभा में, 02 अगस्त 2023 को राज्य सभा में) तथा 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।

निवेश को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए सरकार की नीतिगत पहलों से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) में 63वें स्थान पर है, जो 5 वर्षों की अवधि में 79 रैंक का सुधार दर्शाता है।

(ii) भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं, (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक वस्तुएं/ औषधि मध्यवर्ती सामग्री तथा सक्रिय औषध निर्माण घटक (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्युटिकल ड्रग्स, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ घटक और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

इस स्कीमों में उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने, विनिर्माण आउटपुट को बढ़ाने तथा भविष्य में तीव्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की क्षमता है। अनेक पीएलआई क्षेत्रों में विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी होने के प्रमाण है जैसे- वैश्विक स्मार्टफोन कंपनी एपल ने अपने आपूर्तिकर्ताओं यथा फोक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को भारत में स्थानांतरित कर दिया है।

सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में कमी आयी है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात वर्ष 2014-15 के 48,609 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 7,674 करोड़ रुपए रह गया। दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 के 1,566 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,28,982 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।

(iii) स्टार्टअप इंडिया पहल को, सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए नवप्रयोग और उद्यमियता बढ़ाने हेतु एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना में 19 कार्य मदें शामिल हैं जो "सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता", "निधियन सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-शिक्षा जगत भागीदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। सरकार के लगातार प्रयासों से 30 जून, 2024 तक डीपीआईआईटी से

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1.40 लाख हो गई है तथा इन स्टार्टअप्स ने लगभग 15.53 लाख नौकरियों के सृजन की सूचना दी है।

(iv) भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में भविष्योन्मुखी शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भूखंड स्तर तक पूर्णत: तैयार अवसंरचना वाली मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है जिसमें ऐसे शहर शामिल हैं जो भविष्य के लिए तैयार हों, वि परीत परिस्थितियों का सामना कर सकें तथा वहनीय हों।

(v) भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) जीआईएस-आधारित व्यापक प्लेटफॉर्म है जो भारत की औद्योगिक भूमि संबंधी जानकारी के केंद्रीकृत रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, इस प्लेटफार्म पर 4,200 से अधिक औद्योगिक पार्क मैप किए गए हैं जिनका क्षेत्र 7.2 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है। आईआईएलबी, भूमि की उपलब्धता, आंतरिक अवसंरचना, मुख्य नोडल बिंदुओं जैसे हवाई अड्डे, राजमार्ग और बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी और कच्चे माल तथा तैयार सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है।

(vi) भारत सरकार ने, पीएम गतिशक्ति एनएमपी जीआईएस सक्षम पोर्टल का उपयोग करते हुए अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की प्लानिंग हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए 13 अक्तूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान शुरू किया। पीएमजीएस के उपयोग से मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलता है और अंतिम छोर कनेक्टिविटी बढ़ाता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में सहयोग करते हैं। पीएम गतिशक्ति एनएमपी को पूरक सहायता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) को शुरू किया गया था ताकि देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया जा सके। ये नीतियां नवप्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से बेहतर नवप्रयोग करने में सहायता प्रदान कर रही हैं।
